| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.1.2025 | **एकल–पीठ**<br>**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक<br>श्री डूंगरसिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।<br><br>**आदेश**<br><br>1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–5–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>2. अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्णय दिनांक 16–10–04 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–5–05 से अपील स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।<br><br>3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये लिखित बहस में अभिकथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 925 एवं 926 प्रारम्भ से कृषि भूमि रही है तथा भू प्रबंध के पूर्व इसका पुराना खसरा नंबर 555 था। भू प्रबंध के बाद एवं पूर्व में विवादित आराजी कृषि भूमि रही है। अपीलीय न्यायालय का कथन कि विवादित आराजी पट्टे की है गलत एंव रिकार्ड के विपरीत है। रेस्पोडेंट ने पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की। जमाबंदी सं. 2055 के अनुसार खडगा माली एवं नूर मोहम्मद भी बतौर ठेकेदार काश्तकार दर्ज है, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया। अपीलीय न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में केवल मौखिक साक्ष्य को आधार माना है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजी कृषि भूमि है। अपीलीय न्यायालय का आदेश कयासों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।<br><br>4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विवादित आराजी राज0 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जिसका पट्टा स्टेट ऑफ बीकानेर के समय श्री कलणशाह के नाम से जारी किया गया था। इस आराजी पर एक कुआ एवं बावडी बनी हुई है। इस कुंए से मौहल्लेवासी पानी पीते थे और जो बचता था उससे कृषि कार्य किया जाता था। वर्ष 1954 में राजस्थान सरकार ने राज0 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ की स्थापना की तो उक्त भूमि को सूची में अंकित किया गया। यह भूमि वक्फ बोर्ड के मालिकाने की हो गई और भूमि को संभालने हेतु रेस्पोडेंट को प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है। विवादित आराजी नगरपालिका सीमा में है। राजस्व रिकार्ड का इंद्राज वास्तविकता के विपरीत है। सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की होने से खातेदार भी वक्फ बोर्ड है। पट्टे की भूमि का उपयोग कृषि कार्य में लेने से उसकी किस्म परिवर्तन नहीं होती। भूमि का स्वरूप वहीं रहता है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को कृषि भूमि मानकर त्रुटि की है। राजस्व रिकार्ड में इंद्राज वास्तविक स्थिति के विपरीत है। भू प्रबंध के दौरान गलत नंबर अंकित कर कृषि भूमि दर्ज कर दी गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरों एवं पट्टे में वर्णित भूमि एक ही बताई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।<br><br>5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।<br><br>**6.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर खसरा नंबर 925 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन कुंआ व खसरा नंबर 926 रकबा 2 बीघा चाही कृषि भूमि को पट्टा भूमि राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को कृषि भूमि मानते हुये रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा आलोच्य निर्णय से स्वीकार की गई है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। नकल जमाबंदी संवत् 2055 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नंबर 925 व 926 रोही ग्राम रतनगढ की भूमि वक्फ सा0 देह खातेदार नूरमोहम्मद वल्द | |

दुला व्योपारी व बकाश्त खडगा वल्द खींया माली के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित आराजी पूर्व में खसरा नंबर 555 की रही है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पट्टे की बताई है किंतु पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। जमाबंदी सं.1 2055 अनुसार खडगा माली व नूरमोहम्मद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेंट द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा किसी खातेदार को सुने बिना उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। रेस्पोडेंट को मूल तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी दौराने बंदोबस्त खातेदारी में दर्ज की गई है जबकि खसरा मिलान अनुसार बंदोबस्त से पूर्व इस भूमि के खसरा नंबर 555 थे तथा यह कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काश्त दर्ज चली आ रहीं है। सेटलमेंट में गत खसरा नंबर 555 से नये नंबर 925 व 926 बनना परीलक्षित है। गिरदावर हल्का रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 23–9–03 के अनुसार पट्टा में वर्णित भूमि व खसरा नंबर 925 व 926 की भूमि अलग अलग बताई है। पटवारी हल्का रतनगढ ने पट्टे की भूमि एवं खसरा नंबर 925 व 926 की भूमि एक होना मौखिक साक्ष्य के आधार पर बताई है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी पट्टे की होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये खारिज किया है। जबकि अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार करने का आधार पटवारी हल्का द्वारा मौखिक साक्ष्य के आधार पर पट्टे की भूमि व विवादित आराजी को एक होना माना है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। राजस्व रिकार्ड के प्रकाश में रहते मौखिक साक्ष्य की कोई उपयोगित नहीं रहती। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थन योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार योग्य होकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत अपील को स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 13–5–05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–10–04 विधिसम्मत् होने से बहाल रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(मदनलाल नेहरा)**
**सदस्य**

अपील/ एलआर/4026 / 2005/ जिला चुरू
सरकार बनाम राज. बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ

| | | |
|---|---|---|
| | | |